उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1
संख्या:29 /2015/1730 / 22-1-2015-124 / 99
लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के वेतन बैंड-।।, रू0 9300-34800, ग्रेड पे रू0 4600/- में कार्यरत श्री कुलदीप सिंह भदौरिया, उप कारापाल को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री धीरज कुमार की कारापाल के पद पर पदोन्नति की तिथि 08 मई, 2015 से प्राकल्पित पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कारापाल के पद पर वेतन बैंड-।।, रू0 9300-34800, ग्रेड पे रू0 4800/- में प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

2- श्री कुलदीप सिंह भदौरिया की कारापाल के पद पर पदोन्नति इनके विरूद्व सी0जे0एम0 हाथरस के न्यायालय में मु0अ0सं0-127/2000 धारा-419/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 में लम्बित वाद संख्या-1275/2007 राज्य बनाम मुरारी लाल व अन्य, श्री रूद्र प्रताप सिंह व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री भदौरिया द्वारा योजित वाद संख्या-482/38261/2014 कुलदीप सिंह बनाम उ0प्र0 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

एस0 के0 रघुवंशी
सचिव।

संख्या: 29/2015/1730(1)/22-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक प्रकाशनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर महानिरीक्षक (प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित अधिकारी, द्वारा-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।